steps by Government for facilitating private sectors' participation in power generation; and

(b) if so, what is the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI): (a) and (b) Yes Sir. Comments have been received from a large number of Chambers of Commerce, Trade Bodies, both in India and abroad. Clarifications are being provided during discussions with these bodies. A brochure has been brought out giving details of the scheme to encourage private sector participation in power generation, supply and distribution field, which has been widely circulated.

Amount sanctioned for expansion of power distribution system in Madhya Pradesh

467. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of POWER AND CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) whether the Central Government have sanctioned any amount for expansion of power distribution system in Madhya Pradesh recently; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI): (a) and (b) An outlay of Rs. 104.05 crores was approved by Planning Commission for distribution works of Madhya Pradesh Electricity Board for the year 1991-92, details of which are given below:—

(i) Normal Development works.....Rs. 85.05 crorse
(ii) System Improvement works and Capacitor installation..... Rs. 19.00 crores

In addition, an mount of Rs. 6 crores has been allocated for renovation and modernisation of Transmission and Distribution works in Madhya Pradesh.

कुछ गैर-सरकारी उपक्रमों द्वारा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

468. श्री विश्वासराव रामराव पाटिल :
श्री सुरेश कलमाडी :
श्री गुरुदास दासगुप्त :
श्री चतुरानन मिश्र :

क्या विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कुछ गैर-सरकारी उपक्रमों को विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने की अनुमति देने का विचार रखती है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) सरकार के पास ऐसे कितने आवेदन-पत्र विचारार्थ लम्बित पड़े हैं;

(ग) गैर-सरकारी उपक्रमों को दी जाने वाली प्रस्तावित विद्युत परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(घ) महाराष्ट्र में कौन-कौन से गैर-सरकारी उपक्रमों को ऐसा करने की अनुमति दी जा रही है ; और

(ङ) क्या सरकार इन परियोजनाओं को निर्धारित समय पर निष्पादित करने की कोई शर्त रखने का विचार रखती है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां । विद्युत की बढ़ती हुई मांग और इसकी सप्लाई में कमी के बीच अन्तर को पूरा करने हेतु विद्युत क्षेत्र में क्षमता संवर्धन कार्यक्रम के लिए संसाधनों में वृद्धि करने के लिए एक स्कीम तैयार की गई है जिसके अन्तर्गत विद्युत के उत्पादन, सप्लाई एवं वितरण में निजी क्षेत्र उद्यमों द्वारा और अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित किए जाने की व्यवस्था की गई है ।

(ख) 8 (आठ) आवेदन लम्बित हैं।